प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.11.2024

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आर्य समाज मन्दिर नन्दग्राम मे अवैध व अनाधिकृत रुप से विवाह कराने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 29.11.2024 को मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आर्य समाज मन्दिर ब्रजनगरी नन्दग्राम गाजियाबाद की संस्था मे अवैध व अनाधिकृत रुप से विवाह कराने वाले 02 अभियुक्त ब्रजेश शास्त्री पुत्र रणधीर शास्त्री व जयकरन पुत्र गंगाधर को गिरफ्तार किया गया व वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ अभियुक्तगण

पूछताछ पर अभियुक्तो ने बताया कि हमारी संस्था आर्य समाज मन्दिर ब्रजनगरी नन्दग्राम गाजियाबाद का रजिस्ट्रेशन निरस्त होने के बाद भी हम लोग लालच मे आकर फर्जी तरीके से विवाह कराते रहे जो रुपये विवाह से मिलते है उनसे हम आपस मे बांटकर खर्च कर लेते है। इस संस्था का कोई बैंक खाता नही है। हम लोगो द्वारा जिस वर वधु का गवाह उपलब्ध नही होता है उनके विवाह मे आधार कार्ड को एडिट करके गवाह बना देते है। विवाह सम्बन्धी प्रमाण पत्रो पर अलग अलग तरीके से हस्ताक्षर कर देते है।

नाम पता अभियुक्तगण

1- ब्रजेश शास्त्री पुत्र रणधीर शास्त्री निवासी ग्राम बिचरौली थाना कुरारी जिला हमीरपुर हाल पता 117 ई ब्लाक सैक्टर 10 वसुन्धरा थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष
2- जयकरन पुत्र गंगाधर निवासी म0न0- 153 गाँव बिचरौली पोस्ट शेखपुर थाना कुरारी जिला हमीरपुर हाल पता गली न0- 04 शान्ति नगर गुप्ताजी का किराये का मकान थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 39 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा खोड़ा क्षेत्रान्तर्गत हुई हत्या की घटना में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 चाकू बरामद ।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 13.11.2024 को थाना खोड़ा पर वादी श्री आसिफ पुत्र श्री नन्हे मलिक निवासी आरसी 1283, शंकर विहार रब्बानी मस्जिद, खोड़ा कालोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि मेरे पड़ोसी जाकिर से नाली के ऊपर मोटर साइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद था दिनांक 13.11.2024 को जाकिर और उसके लड़के फरीद, शाकिर, वाजिद व अपने कुछ अन्य रिस्तेदारों के साथ मिलकर रब्बानी मस्जिद के पास तिराहे पर वादी के पिता नन्हे मलिक व वादी के भाई सलमान को घेरकर चाकू से बार कर दिया व जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। वादी के घायल पिता व भाई को ईलाज हेतु लाल बहादुर अस्पताल दिल्ली ले गये, जहाँ पर डाँक्टरों ने वादी के पिता को मृत घोषित कर दिया और भाई का ईलाज चल रहा है। जो कि मरणासन की स्थिति में है।

तत्काल थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा वादी की प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 30.11.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाला 01 वाँछित अभियुक्त फरीद पुत्र जाकिर निवासी शंकर विहार खोडा कॉलोनी गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष को इतवार पुस्ता के पास खोडा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 चाकू बरामद हुआ तथा पूर्व में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत हेतु भेज दिया गया था। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त फरीद पुत्र जाकिर उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 13.11.2024 की शाम को हमारा नन्हे के परिवार से गली में मोटर साइकिल खडी करने को लेकर झगडा हो गया था। जिसमें नन्हे के परिवार के लोगों से कहा सुनी हो गई। जिसके कारण हम लोगों को बहुत गुस्सा आ गया था। जिस पर हमने अपने घर के अन्दर से छुरा(चोकू) निकालकर उन लोगों पर हमला कर दिया था और वहां पर खूनखराब हो गया और भीड जुट गयी। जिसे देखकर हम लोग घबरा गये और हम लोग मौके से भाग गये, भागते समय छुरा खून लगा होने के कारण एक पालीथीन में रखकर कमर में खोंस लिया जिसे भागते समय मैने इन्दिरापुरम अन्डरपास के पास तालाब के किनारे झाडियों में फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः

फरीद पुत्र जाकिर निवासी शंकर विहार खोडा कॉलोनी गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 चाकू बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा लूट के अभियोग का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 27.11.2024 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर प्राप्त हुई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरा मोबाइल फोन लूट लिया है जिसके कवर में 1500 रूपये भी रखे थे। इस सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 29.11.2024 को थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र बंथला चिरौडी रोड निठौरा गेट से लूट के अभियोग का वांछित अभियुक्त विनीत शर्मा पुत्र विरेन्द्र शर्मा निवासी एफ-53 पूर्वी जवाहर नगर, थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा इसके कब्जे से लूटा गया 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं दिनांक 26.11.2024 को शनि मन्दिर इन्दिरापुरी लेबर चौक पर मोटर साईकिल को लेकर खड़ा था, वहां पर एक लड़के से मैने 02 घंटे मजदूरी करने के 700/- देने की बात कहकर उसे अपनी मोटर साईकिल पर बिठाकर बंथला नगर की और लेकर गया था, जहाँ पर मैंने मौका पाकर उसका मोबाईल फोन जिसके कवर में 1500/- रूपये रखे थे को छीन कर वहां से भाग गया था। मैंने मोबाईल का कवर बंथला नहर के चलते पानी में फेंक दिया था तथा पैसे मैंने अपनी मौज मस्ती में खर्च कर लिये है, यह वही मोबाईल जो आपने मेरे पास से बरामद किया है। आज मैं इस मोबाईल को राह चलते किसी व्यक्ति को बेचने की फिराक में अपनी मोटर साईकिल लेकर निकला था कि आपने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

विनीत शर्मा पुत्र विरेन्द्र शर्मा निवासी एफ-53 पूर्वी जवाहर नगर, थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

थाना लोनी पर लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

अभियुक्त के कब्जे से 01 लूटा गया मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा मादक पदार्थ 04 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 29.11.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा गश्त व चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र रामपार्क से ऑटो से अवैध गांजा 4.800 किग्रा0 के साथ 02 अभियुक्तों 1. खडमपुरी ब्रहमया पुत्र रमेश नि0 आनन्द चक्की जी ब्लाक रामपार्क ट्रोनिका सिटी गा0बाद उम्र-35 मूल पता आन्ध्रप्रदेश विशाखापट्टम थाना चारटाउन 2. मोहसिन पुत्र अबरारुद्दीन नि0 शनि मन्दिर के पास रामपार्क ट्रोनिका सिटी गा0बाद उम्र-19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर NDPS ACT के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा ऑटो को सीज किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त खडमपुरी ब्रहमया ने बताया कि मै आंध्रप्रदेश से गांजा ट्रेन के माध्यम से लेकर आता हूँ तथा यहां पर मोहसिन के साथ मिलकर गांजा को छोटे-छोटे पैकेट में पैक करके आस-पास के क्षेत्रों में राह चलते व्यक्तियों को घूम फिरकर बेच देता हूँ। आज मैंने मोहिसन को 2500/- रूपये में गांजा बेचा था। हम दोनों गांजे को बेचकर मिले रूपये से अपने शौक पूरे करते है। हम लोग आज भी बेचने जा रहे थे कि पुलिस ने हमको पकड लिया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. अभि0 खडमपुरी ब्रहमया पुत्र रमेश नि0 आनन्द चक्की जी ब्लाक रामपार्क ट्रोनिका सिटी गा0बाद मूल पता आन्ध्रप्रदेश विशाखापट्टम थाना चारटाउन, उम्र-35 वर्ष
2. अभि0 मोहसिन पुत्र अबरारुद्दीन नि0 शनि मन्दिर के पास रामपार्क ट्रोनिका सिटी गा0बाद, उम्र-19 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कुल 4.800 कि0ग्रा0 अवैध गांजा, 01 ऑटो, 2500/- रूपये

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त खडमपुरी ब्रहमया के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी व थाना अंकुर विहार पर अवैध गांजा बरामद करने के सम्बन्ध में कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं, तथा अभियुक्त मोहसिन उपरोक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना ए0एच0टी0यू कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत अभियोग से सम्बंधित गुमशुदा बालक शिवा उम्र 9 वर्ष बरामद

दिनांक 29.11.2024 को थाना ए0एच0टी0यू कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा रेस्क्यू के दौरान थाना विजयनगर पर पंजीकृत मुकदमा से सम्बंधित गुमशुदा बालक शिवा उम्र 9 वर्ष पुत्र सोनू निवासी सैक्टर 12 ई ब्लाक प्रताप विहार विजयनगर गाजियाबाद को घरौदा शैल्टर होम पंचशील कालोनी के पास थाना कविनगर से बरामद किया गया जो दिनांक 11.09.2024 को घर से बिना बताये कही चला गया था। बालक शिवा 4 बहनों का इकलौता भाई था। बालक के पिता नगर निगम में सफाईकर्मी है। बालक शिवा को बरामद कर परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया गया। परिजनों ने खुश होकर पुलिस को धन्यवाद दिया।

बरामद बच्चें का विवरणः

शिवा उम्र 9 वर्ष पुत्र सोनू निवासी सैक्टर 12 ई ब्लाक प्रताप विहार विजयनगर गाजियाबाद

बरामद करने वाली टीमः-

1-श्रीमती तरूणा सिंह थाना प्रभारी ए0एच0टी0यू0

2-उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह

3-है0का0 अमनेह कुमार

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 30.08.2024 को वादिया द्वारा थाना मुरादनगर पर सूचना दी गई कि हमारे पडोस में रहने वाले व्यक्ति का साला गौतम कुमार पुत्र अजीत उर्फ जीतपाल निवासी सलारपुर कला थाना जारचा जिला गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 21 वर्ष द्वारा मेरी पुत्री उम्र 17 वर्ष को अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया । तत्पश्चात दिनांक 03.09.2024 को बरामद पीड़िता का उक्त मुकदमे में मेडिकल परीक्षण एवं धारा 180/183 BNSS की कार्यवाही की गयी।

आज दिनांक 30.11.2024 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा लोकल मैनुअल ईनपुट के आधार पर अभियुक्त गौतम कुमार पुत्र अजीत उर्फ जीतपाल निवासी सलारपुर कला थाना जारचा जिला गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 21 वर्ष को जलालाबाद गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी बहन की शादी उक्त लडकी (पीड़िता) के गांव में हुई है, मैं अपनी बहन के यहां आता-जाता रहता था तथा कुछ दिन बहन के यहां रुक भी जाता था, इसी दौरान मेरी बहन के पडोस में रहने वाली उक्त लडकी से मेरी जान पहचान हो गयी और मेरी उक्त लडकी से बातचीत होती रहती थी, मैं उक्त लडकी को बहला फुसलाकर शादी के लिए ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

गौतम कुमार पुत्र अजीत उर्फ जीतपाल निवासी सलारपुर कला थाना जारचा जिला गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 21 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।